प्रकरण संख्या 06/2017 2017/00023 तारीख रजु 03.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

उनवान

प्रेमसिंह पुत्र रंगलाल जाति मीना उम्र 38 वर्ष निवासी छेड़कापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली — अपीलाण्ट्

बनाम

सहायक वन संरक्षक, करौली, तहसील व जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 21.02.2017 उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम प्रेमसिंह प्रकरण संख्या 01/17 निर्णय दिनांक 21.02.2017 न्यायालय सहायक वन संरक्षक, करौली

निर्णय

दिनांक–29.01.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह अपील अपीलाण्ट द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा साक्ष्य सबूत पेश न करने पर भी निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है एवं निर्णय अपास्त होने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.02.2017 को उपस्थिति बाबत् नोटिस देकर दिनांक 21.02.2017 को ही अपीलाण्ट को जवाबदेही व सुनवाई का अवसर न देकर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट को vfmc लैदोर योजना के तहत दिनांक 01.05.2015 को एक हजार पौधे लगाने हेतु 16000/– रुपये जमा करने पर पौधारोपण के लिये यह जमीन दी गई थी, तभी से अपीलाण्ट उक्त जमीन पर सरकारी योजना के तहत पौधारोपण कर रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है और वन क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन निवासियों को जंगलात की भूमि पर कानून अधिकार मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट् को अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। निर्णय पारित करने में सहायक वन संरक्षक करौली ने अपना विवेक इस्तेमान न करके प्रिण्टेड फार्म पर ही खाली कॉलमों को भर कर निर्णय पारित किया है जो निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 07.06.2017 को फोरेस्टर द्वारा बताने, आ.ख.नं. 202/2 का अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं 500/– रुपये शास्ति बताने की कहने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 08.06.17 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं दिनांक 20.06.2017 को नकल प्राप्त हुई। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की सुनवाई जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा साक्ष्य सबूत पेश न करने पर भी निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है एवं निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट को vfmc लैदोर योजना के तहत दिनांक 01.05.2015 को एक हजार पौधे

जिला कलक्टर
करौली

लगाने हेतु 16000/– रुपये जमा करने पर पौधारोपण के लिये यह जमीन दी गई थी, तभी से अपीलाण्ट उक्त जमीन पर सरकारी योजना के तहत पौधारोपण कर रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है और वन क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन निवासियों को जंगलात की भूमि पर कानून अधिकार मिल सकते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि खसरा नं. 202/2 रकबा 10 बीघा ग्राम छैंडकापुरा तहसील मासलपुर पर सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलाण्ट ने अपने लिखित बयानों में अंकित किया है कि उनके द्वारा वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर फसल बोकर लगभग 20 वर्ष से कब्जा कर रखा है एवं जमीन से संबंधित कोई कागज अपीलाण्ट के पास नहीं हैं। कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट के बयानों से जाहिर है कि लगभग 20 वर्षों से वन भूमि पर फसल काश्त कर जानबूझकर अपीलाण्ट द्वारा सरसों फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। हम अपीलाण्ट के कथनों से सहमत हैं। अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, करौली का निर्णय दिनांक 21.02.2017 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली